

न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

कार्यवाही पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
51/019	53,188 RTA	—	२,९३९
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
मनोज	बनाम	मै कृष्ण चण्ड	

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
28/6/09	अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 RTA आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्घे सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 17/7/09 को पेश हो।	29/8
17/7/09	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के सम्मन न्यायालयील अप्राप्त। वरन्ते ई वजार सम्मन पत्रावली दिनांक 20/8/09 को पेश हो।	
17/9/09	न्यायालयीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक... 22/10/09... को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
22/10/09	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गण कुल 12/1, 6, 7 व 9 के नद नशील सम्मन प्राप्त। निवजुद सूचना के अनुपस्थित। इनके विरुद्ध एव, वरफा कार्यवाही की जाती। प्रतिवादी 23/10/09 को तलब के हेतु तलब की पेश की। वरन्ते तलब की पत्रावली दिनांक 19/11/09 को पेश हो।	
19/11/09	न्यायालयीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक... 23/12/09... को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	

10/21
18/21
22/22
24/22

अज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में
व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में
दिनांक 24/12/21 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

18/21

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
शिविर पर पत्रावली पेश
हुई। पर प्रशासन उपस्थित/अनुपस्थित।
कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत् पत्रावली
न्यायालय में दिनांक 21/12/21
को पेश हो।

22/22

अज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में
व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में
दिनांक 27/12/22 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

5/22

अज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में (वेनार)
व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में
दिनांक 24/12/22 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

24/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राप्ति अनुपस्थित। तीस
वार कोर्ट लगेवाई गई। कोई उपस्थित नहीं।
प्रकरण कदम हाजरी अदालत परकी रकारिड किया
जाता है। पत्रावली अदालत सुनार होकर दारिजल
दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)